the Street

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय) गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 2575/अका./2022

रायगढ़, दिनाँक 02.03.2022

प्रति,

प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, जिला–रायगढ़ एवं जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

विषय:- Launch of Provisional Accreditation for colleges (PAC) by NAAC

विषयांतर्गत लेख है कि प्रो. एस.सी. शर्मा, निदेशक,राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने पत्र द्वारा दिनांक 14.02.2022 को माननीय राज्यपाल महोदया को महाविद्यालयों के अनंतिम प्रत्यायन के संबंध में छत्तीसगढ़ के गैर प्रत्यायित महाविद्यालयों को अनंतिम प्रत्यायन के अवसर का उपयोग करने तथा प्रत्यायन के लाभ लेने हेतु निवेदन किया है। राजभवन के पत्र क्रमांक 1272/2548/2019/रास/यू, रायपुर दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय को नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

माननीय कुलपति महोदय ने इस विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी गैर प्रत्यायित (Non Accredited) महाविद्यालयों को शीघ्र—अतिशीघ्र NAAC की अनंतिम प्रत्यायन की योजना का लाभ लेने हेतु निर्देशित

किया है।

अतः सभी गैर प्रत्यायित महाविद्यालय इस दिशा में तत्काल कार्यवाही कर एक माह के अंदर विश्वविद्यालय को कृत कार्यवाही से अवगत करावें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

प्रभारी कुलसचिव

पृ. क्रमाँक 2576 / अका. / 2022 रायगढ़, दिनाँक 02.03.2022 प्रतिलिपि—

01. माननीय कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।

02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।

03. आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।

04. राज्य समन्वयक, राज्य स्तरीय आंतरिक गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ, संचालनालय इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।

05. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति के सादर सूचनार्थ।

०६. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (अका.)

राज्यपाल के अवर सचिव Under Secretary to Governor



दूरभाष Telephone -

कार्यालय Office: +91-771-2331101/06

निवास Res.

फैक्स Fax : +91-771-2331104

राजभवन, रायपुर : 492001 RAJ BHAVAN, RAIPUR-492001

रायपुर, दिनांक 25/02/2022

क्रमांक : 1272/2548/2019/रास/यू.

प्रति.

1. कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालयं, आमानाका बस डिपो के सामने, रायपुर

2. कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर, धरमपुरा, जगदलपुर

3. कुलपति, संत गहिरागुरु सरगुजा विश्वविद्यालय, दर्रीपारा मेंहदी बंगला, हॉस्पिटल रोड, अंबिकापुर

4. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट भवन गांधी चौक के पास बिलासपुर

5. कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, रायपुर नाका, दुर्ग

6. कुलपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, के.आई.टी. भवन, गढ़उमरिया, ओडीसा रोड, रायगढ़

7. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़

8. कुलपति, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, काठाडीह, रायपुर

9. कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, ग्राम व पोस्ट-बिरकोना, बिलासपुर

10. कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

11. कुलपति, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, ग्राम व पोस्ट-अंजोरा, जिला-दुर्ग

12. कुलपति, महात्मा गांधी उद्यानिको एवं वानिकी विश्वविद्यालय, मर्रा, पाटन, जिला—दुर्ग

13. कुलपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा, सेक्टर–40, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

14. कुलपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, पोस्ट-नेवई, जिला-दुर्ग

15. निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्वविद्यालय प्लाट नं. 7 सेक्टर 24, पुरखौती मुक्तांखन के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर

विषय :- Launch of Provisional Accreditation for Colleges (PAC) by National Assessment and Accrediation Council (NAAC).

प्रो. एस.सी. शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, नागरभावी, बेंगलूरु से National Assessment and Accrediation Council (NAAC) द्वारा महाविद्यालयों के अनंतिम प्रत्यायन के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 14.02.2022 की छायाप्रति नियमानुसार कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(एम.पी. पटेल) राज्यपाल के अवर सचिव छत्तीसगढ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಸಿ. ಶರ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು प्रो. एस.सी. शर्मा निदेशक Prof. S.C. Sharma

Director

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಪರಿಷ್ಣತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಭ

ल्याकन एव प्रत्यायन पारषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

A PET 22/2/22

Shri Sushri Anusuiya Uikey Ji

Hon'ble Governor of Chhattisgarh

Raj Bhawan,

Raipur - 492001

Chhattisgarh

14th February 2022

Subject: Launch of Provisional Accreditation for Colleges (PAC) by NAAC

25/12

Hon'ble Sir,

'Respectful Greetings from National Assessment and Accreditation Council, Bangalore'


The National Assessment and Accreditation Council (NAAC) was established in 1994 as an autonomous institution of the University Grants Commission (UGC) with its Head Quarter in Bengaluru with a vision to make quality the defining element of higher education in India through a combination of self and external quality evaluation, promotion and sustenance initiatives.

Prime Agenda of NAAC is to assess and accredit all Higher Education Institutions who volunteers to get Assessment and Accreditation by NAAC, provided they are eligible, as per NAAC rules.

With the aforementioned Prime Agenda, so far NAAC has accredited 392 Universities and 8483 Colleges (*As on 08/02/2022*).

I am pleased to inform your good self that NAAC has recently launched Provisional Accreditation for Colleges (PAC) in order to reach large number of HEIs who did not opt for accreditation so far.

To widen the horizon of Accreditation, thereby inviting more number of higher education institutions to adopt quality through provisional Accreditation. Provisional Accreditation is granted to colleges in the planning stages of its Assessment and Accreditation. Essentially, this is a process which ascertains the readiness of the institution towards Assessment and Accreditation.



Features of Provisional Accreditation for Colleges (PAC):

- Any College offering regular programs of Higher Education at undergraduate and above levels are eligible to apply for PROVISIONAL ACCREDITATION FOR COLLEGES (PAC) provided such Colleges must have completed at least one Academic year (from student admission to announcement of results).
- The validation of PAC will be valid for only two years. Colleges cannot opt of PAC for more than two consecutive times.
- PAC shall not be associated to any cycles of accreditations.
- The accreditation fee for PAC shall be Rs.10,000/- + GST plus Actual Logistics Fee including GST if Peer Team Visit (PTV) is recommended.
- The outcome of PAC shall be in binary in nature, viz., "Provisionally Accredited" or "Not Accredited".

We humbly request your kindself to instruct the non-accredited higher education institutions to make use of this opportunity and reap the benefits of accreditation.

I shall be immensely grateful and look forward for your kind support and guidance in our endeavour to make quality a defining element in the country.

Thanking you with warm regards,

Yours faithfully,

S. C. Reame

(Prof. S. C. Sharma)